मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र24902/22/वि–12/ग्रा.स.वि.प्रा./स्था. /2016 भोपाल, दिनांक 07/12/2016

:: आदेश ::

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की परियोजना कियान्वयन इकाईयों में म.प्र. राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज से कैम्पस सिलेक्शन के माध्यम से, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इकाईयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरांत अंतिम रूप से सफल पाये गये निम्नलिखित ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज को वर्णित शर्तो के अधीन उपयंत्री (संविदा) के रूप में रिक्त पदों के विरूद्ध उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई इकाईयों में आगामी आदेश तक संयोजित किया जाता है :–

स. क.	नाम	पिता का नाम	इकाई का नाम जहां प्रशिक्षण लिया गया	इकाई जहां उपयंत्री के रूप में संयोजित किया जा रहा है
1	2	3	4	5
1	श्री करन अलावा	श्री मेहताब सिंह अलावा	धार–3	होशंगाबाद
2	श्री हिमांशु गुरजर	श्री राधेश्याम गुरजर	खरगौन–2	बैतूल–2
3	श्री सुनील बडौले	श्री मुकुन्द बडौले	बड़वानी–2	उज्जैन–2
4	श्री हिमांशु पवार	श्री राजेन्द्र पवार	बड़वानी–2	सागर–2
5	कु. पूनम निगोटिया	श्री ओमप्रकाश निगोटिया	दतिया	दतिया
6	श्री नीरव अग्रवाल	श्री आर.के.अग्रवाल	बैतूल–2	विदिशा–2
7	श्री सौरभ नायक	श्री सीताराम नायक	सिवनी–1	सागर–1
8	कु राजेश्वरी धुर्वे	श्री डी.एस.धुर्वे	सिवनी–3	सिवनी–1
9	श्री निर्मल पाटीदार	श्री बद्रीलाल पाटीदार	छिन्दवाड़ा–3	शाजापुर
10	कु. रमा नायक	श्री प्राण नाथ नायक	पन्ना	छतरपुर
11	श्री अमित कुमार गुप्ता	स्व. श्री रामकुमार गुप्ता	रीवा–1	रीवा–2 (मऊगंज)
12	श्री आशीष वर्मा	श्री राजकुमार वर्मा	शहडोल–1	शहडोल
13	श्री संजय कुशवाह	श्री रामलखन कुशवाह	शहडोल–1	श्योपुर
14	कु. रत्ना द्विवेदी	श्री लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी	सीधी	बैढ़न–1
15	श्री अनिल निगवाल	श्री लाल सिंह निगवाल	देवास–2	देवास–2
16	कु. अन्जनी राजपूत	श्री चन्द्रपाल सिंह राजपूत	दतिया	ग्वालियर
17	श्री संतोष बरवाल	श्री प्रहलाद बरवाल	नरसिंहपुर–2	नरसिंहपुर–2

<u>संविदा की शर्तें :–</u>

1. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. संविदा कर्मी की संविदा अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जावेगी। संविदा कर्मी को किसी प्रकार का लिखित में कोई सूचना/पत्र पृथक से नहीं दिया जायेगा।
3. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य में मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।
4. संविदा कर्मी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

5. संविदा कर्मी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग/नियोक्ता द्वारा एक माह का वेतन देते हुये बिना किसी नोटिस/सूचना के व कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

6. इस प्राधिकरण के पत्र क्र. 7448 दिनांक 02/04/2016 की कंडिका 5 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण के समय संबंधित इकाई में Surety Bond के रूप में रू. 37500/– (सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की राशि जमा कराई गई है। संबंधित उपयंत्री द्वारा उक्त शर्तो के अधीन एक वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि के पूर्व किसी भी कारणवश प्राधिकरण छोड़ने की स्थिति में यह राशि राजसात कर ली जावेगी। एक वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि के पश्चात वापस यह राशि वापस कर दी जावेगी।

7. एक वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि के पश्चात यदि कोई संविदा कर्मी संविदा अवधि के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है तो उसे संविदा त्याग करने के 30 दिवस पूर्व का नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय पदस्थी कार्यालय में जमा कराना होगा।

8. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के बिना कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

9. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थाओं/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

11. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।

12. संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जावेगी।

13. संविदा कर्मी का चरित्र सत्यापन लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति अधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जावेगी।

14. चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही संविदा पर माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई अभ्यर्थी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

15. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को विभाग की आवश्यकता होने पर आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण एवं आयोजित परीक्षा में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवायें समाप्त की जावेगी।

16. संविदा नियुक्त कर्मी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रस्तुत जानकारी अथवा अन्य कोई तथ्य एवं घोषणा यदि बाद में झूठी अथवा गलत पाई जाती है तो यह नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी ।

17. चयनित उपयंत्रियों को वर्तमान में जारी निर्देशों के अनुरूप रू. 27830/– प्रतिमाह एकजाई पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। संविदा अवधि के दौरान निश्चित संविदा पारिश्रमिक में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा। निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य सुविधाएँ नहीं दी जायेगी। म.प्र. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी वृद्धि/संशोधन लागू होंगे।

18. म.प्र. शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

19. नियुक्ति के दौरान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।

20. अपने कार्यों के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये संबंधित दायित्वों का भी निर्वाह करेंगे।

21. निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी –

अ. एक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश।

ब. एक वर्ष में 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश।

स. एक वर्ष में 3 दिवस का ऐच्छिक अवकाश।

द. पितृत्व अवकाश 15 दिवस एवं मातृत्व अवकाश 180 दिवस (सवैतनिक)

22. विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य/बंधनकारी होगा तथा इस विवाद के निराकरण का क्षेत्राधिकार भोपाल होगा। किसी भी पक्ष को ऐसे विवाद के निराकरण के लिये न्यायालय बाधित रहेगा।

23. संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मी को 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संबंधित महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई के साथ करार नामा निर्धारित प्रपत्र अनुसार निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

24. नियोक्ता द्वारा संविदा कर्मचारी को म.प्र. में कहीं भी आवश्यकता होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।

25. महाप्रबंधक तथा संविदा कर्मचारी के किसी भी विवाद के लिये नियोक्ता अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को समस्त अधिकार के साथ निराकरण करने का अधिकार होगा, जो दोनों पक्षों के लिये बंधनकारी होगा।

(नीलम शमी राव)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

पृ.क्र.24903/22/वि–12/ग्रा.स.वि.प्रा./स्था./2016 भोपाल, दिनांक 07/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, म.प्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
4. मुख्य महाप्रबंधक–1/2 मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल/इंदौर/रीवा/जबलपुर ।
5. महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई.................. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित श्री/कु. .... उपयंत्री (संविदा) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. लेखा शाखा/स्थापना शाखा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल